

अति-आवश्यक

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. सभी क्षेत्रीय अधिकारी, श्रम विभाग, हरियाणा राज्य।
2. सभी क्षेत्रीय कर्मचारी, श्रम विभाग, हरियाणा राज्य।

क्रमांक: स्था0/03/2021/30261-462


दिनांक: 27-12-2021

विषय:- ई-श्रम से संबंधित कार्य हेतु दिनांक 31.12.2021 तक अवकाश न लेने बारे।
.....

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामलें में आपको अवगत करवाया जाता है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग द्वारा निर्देश दिये गये है कि सभी क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण से संबंधित कार्य को पूर्ण करवायेंगे तथा दिनांक 31.12.2021 तक कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अवकाश पर नहीं रहेगा।

कृप्या इसे परम अग्रता दें।


अधीक्षक (स्था0),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।